ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. 576/3/2014/SDR-Vol.II Dated: 18th March, 2014

To

The Chief Electoral Officer of

1. Andhra Pradesh,
2. Bihar,
3. Karnataka,
4. Maharashtra,
5. Uttar Pradesh,

Subject: Provision for " None of the above" option on ballot paper for elections to State Legislative Council-regarding.

Sir,

Kindly refer to the Commissions letter of even no. dated 27 Feb, 2014 on the above subject. A clarification has been sought as to the validity status of a ballot paper on which an elector deciding to exercise the option of NOTA puts some preference number instead of cross mark (X) or tick mark (✓) as prescribed by the Commission.

It is hereby clarified that any marking against the NOTA option on the ballot paper other than the ones prescribed by the Commission, would also invalidate the ballot paper. Therefore, it is necessary to give adequate publicity / awareness to the type of markings i.e. cross mark (X) or tick mark (✓) that can be put against the option of NOTA on the ballot paper by an elector wishing to exercise that option. For this purpose a small pamphlet can be printed and displayed outside each polling station for the information of the electors. This can also be given wide publicity before the poll day by issue of an advertisement in the newspapers and also informing the contesting candidates in writing.

Yours faithfully,

(AK Pathak)
Under Secretary

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली–110001

सं.576/3/2014/एस डी आर–खण्ड–II दिनांक:18 मार्च, 2014

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. कर्नाटक
4. महाराष्ट्र
5. उत्तर प्रदेश

विषय:– राज्य विधान परिषद के निर्वाचनों के लिए मतपत्र पर "इनमें से कोई नहीं" के विकल्प का प्रावधान–तत्संबंधी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 फरवरी, 2014 के आयोग के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें। यदि कोई निर्वाचक 'इनमें से कोई नहीं'(नोटा) के विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लेता है और आयोग द्वारा यथा निर्धारित कॅास चिह्न (X) या सही का चिह्न (√) के स्थान पर किसी अधिमान संख्या का प्रयोग करता है तो उस मतपत्र की वैधता की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि मतपत्र पर 'इनमें से कोई नहीं'(नोटा) विकल्प के सामने, आयोग द्वारा निर्धारित चिह्न से भिन्न किसी प्रकार का चिह्न भी मतपत्र को अवैध बना देगा। अतः चिह्न के प्रकार अर्थात उस विकल्प का प्रयोग करने की इच्छा रखने वाले निर्वाचक द्वारा मतपत्र पर 'इनमें से कोई नहीं'(नोटा) के विकल्प के सामने क्रॉस चिह्न (X) या सही का चिह्न (√) लगाए जा सकने को पर्याप्त रूप से प्रचारित करना/जागरूकता पैदा करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रयोजनार्थ एक छोटा पैम्फलेट मुद्रित करवाया जा

सकता है और निर्वाचकों की जानकारी के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रदर्शित किया जा सकता है। समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को लिखित रूप में सूचित करके मतदान दिवस से पहले इसको व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सकता है।

भवदीय,

(ए.के.पाठक)
अवर सचिव